भानासिंह V/S हरिकिशन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
4.07.25	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उप० वास्ते कुर्रेजात पत्रावली दिनांक 23.07.25 को पेश हो।
23.07.25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। वास्ते कुर्रेजात पत्रावली दिनांक 19.08.25 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)
	19/8/25 पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई गत आदेश की पालना में दिनांक 16/9/25 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर
	16/09/25 पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई गत आदेश की पालना में दिनांक 24/09/25 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर
24/09/25	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उप० तहसीलदार (भू.अ.) बांदीकुई के पत्र क्रमांक 5056 दिनांक 11.07.2025 द्वारा कुर्रेजात प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। वकील वादी द्वारा कुर्रेजात पर बहस की गयी। कोई आपत्ति पेश नहीं की गयी। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 25.09.25 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई

प्रकरण संख्याः— 78/2024
प्रकरण दायर दिनांकः—14.06.2024
प्रकरण निर्णय दिनांकः—25.09.2025

उनवान

1. मानसिंह उम्र 48 वर्ष पुत्र नायूलाल, जाति गुर्जर निवासी चोरवाडा तहसील बांदीकुई जिला दौसा।

:— वादी

बनाम

1. हरिकिशन पुत्र गीलाराम जाति माली निवासी बाँदीकुई, तह. बाँदीकुई जिला दौसा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाँदीकुई तहसील बसवा जिला दौसा।

:—प्रतिवादीगण

दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 25.09.2025

वादी द्वारा विरूद्ध प्रतिवादीगण दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा जर्ये वकील श्री अमरसिह गुर्जर के इस आशय से पेश किया गया कि भूमि वाके ग्राम बाढ बगीची, पटावार हल्का श्यांलावास कलां तहसील बाँदीकुई जिला दौसा के खाता सं. नया 31 पुराना 29 के आराजी खसरा नं. 643/91 पर अपना हिस्सा रकबा 0.18 हैक्टे. कुल किता 01 कुल रकबा 0.18 हैक्टेयर स्थित है जिस सरवादी एवं प्रतिवादी काबिज काश्त है तथा अपने—अपने हिस्से अनुसार होकर उपयोग—उपभोग करते चले आ रहे है। भूमि मुर्तदार्थिया वादी एवं प्रतिवादी की शामलाती खातेदारी की भूमि है जिसका अभी तक विधिवत तकारमा नहीं हुआ है। पक्षकारान ने मन समाई से अपने—अपने हिस्सेनुसार भूमि वादग्रस्त का बहामी बंटवारा कर रखा था और उसके अनुसार ही काबिज काश्त कर रहे है। वादी अपने हिस्से अनुसार भूमि वादग्रस्त में विधिवत तकास्मा करवाने का हकदार है। वादी को अपनी भूमि को रूपान्तरण करवाने या अन्य सरकारी सहायता प्राप्त करने हेतु भूमि का विधिक बंटवारा करवाया जाना आवश्यक है। वादी ने भूमि मुतदाविया का विधिवत बंटवारा करने हेतु प्रतिवादी से दिनांक 03.06.2024 को तहसील में चलने के लिए कहा, तो प्रतिवादी इन्कार हो गया। वादी विधिक तकास्मा कराकर अपने हिस्से की भूमि पर शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करना चाहता है। इसलिये भूमि मुतदाविया का सरस बरस के अनुसार तकास्मा किया जाकर वादी का अलग चक अलग खाता तया अलग लगान कायम किया जाकर अलग अलग पासबुक जारी करवाने का वादी अधिकारी है। इसलिये

Scanned with OKEN Scanner

दावा तकास्मा पेश है। प्रतिवादी झगडालू किस्म के व्यक्ति है जो येन केन प्रकारेण वादी को नुकसान पहुंचाते रहते है। यदि प्रतिवादी अपने उद्देश्य में सफल हो गये तो वादी को अपूर्णीय क्षति कारित होगी। जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से संभव नहीं हो सकेगी। वादी अपने जायज हक हकूक व भूमि से वंचित हो जावेगा तथा पक्षकारान के मध्य कई तरह के मुकदमे होकर वादी बर्बाद हो जावेगा। इसलिये प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना आवश्यक है कि वे वादी के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न न करे, बिना भूमि का तकास्मा हुये भूमि को रहन, बय न करें, फसल बोते व काटते समय व प्राकृतिक उपज प्राप्त करते समय किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करे एवं वादी के हिस्से में बिना विधिक बंटवारा हुए किसी प्रकार की तारबन्दी न करें व वैदी के हिस्से में बने खाम व पुख्ता निर्माण में किसी भी प्रकार की दखलान्दाजी न करे इसलिये दावा स्थाई निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है। तकास्मा के दावे में राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार बांदीकुई प्रतिवादी सं. 02 आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार मुकदमा बनाया है। बिनाय दावा व विनाय मुखास्मत दिनांक 03.06.2024 को वादी के हिस्से की भूमि में जबरन घुस कर कब्जा करने की धमकी देने से प्रतिवादी के द्वारा भूमि का तकास्मा कराने की इंकारी करने व भूमि को किसी दीगर शख्स को बेचान करने की एलानियां धमकी देने से अंदर हदूद न्यायालय हाजा पैदा हुई है। इसलिये न्यायालय हाजा को वाद सुनने का अधिकार है तथा दावा अंदर मियाद पेश है।

अतएव वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र वादी वरखिलाफ प्रतिवादीगण निम्न इस्तदुआ स्वीकार करते हुए डिकी पारित फरमाई जावे–

(अ) यह है कि भूमि वाके ग्राम बाढ़ बगीची तहसील बाँदीकुई जिला दौसा के खाता सं. नया 31 पुराना 29 के आराजी खसरा नं. 643/91 पर अपना हिस्सा रकबा 0.18 हैक्टे. कुल किता 01 कुल रकबा 0.18 हैक्टेयर स्थित है, में पक्षकारान का विधिवत कब्जा व रास्ते तथा आवागमन को ध्यान में रखते हुए मुताबिक बहामी बंटवारा अनुसार सरस नरस बंटवारा किया जाकर वादी को उसके हिस्से की भूमि पर वास्तविक कब्जा करवाया जावे तथा लगान का बंटवारा किया जाकर राजस्व अभिलेख में वादी के नाम पृथक पर्चा बनाया जाकर अलग–अलग पासबुक जारी की जावें।

(ब) यह कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस अमर से प्रतिबंधित किया जावें कि वे स्वयं, उनके परिवारजन, नौकर, एजेन्ट, मददगारान भूमि गुतदाविया भूमि वाके ग्राम बाढ़ बगीची तहसील बाँदीकुई जिला दौसा के सह खाता सं. नया 31 पुराना 29 के आराजी खसरा नं. 643/91 पर अपना हिस्सा रकबा 0.18 हैक्टे, कुल किता 01 कुल रकबा 0.18 हैक्टेयर स्थित है, में वादी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की मजाहमत पैदा करने से, किसी प्रकार की दखलान्दाजी नही करने से, फसल बोते व काटतेसमय विवाद करने से. तथा प्राकृतिक उपज प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करे, भूमि को किसी दीगर शख्स को रहन, बय ना करें।

(स) यह कि खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादी से दिलवाया जावे।

(द) यह कि अन्य दादरसी जो करीने इंसाफ बहक वादी हो, अता फरमाई जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण जर्ये रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस विधिवत की गई। प्रतिवादी सं. 1 व 2 बावजूद रजिस्टर्ड तामील उपस्थित नहीं आने पर

ﻛﻤﻢ

प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के विरूद्ध दिनांक 16.12.2024 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। वादी वकील द्वारा वाद को प्राथमिक डिकी किये जाने बाबत निवेदन करने एवं वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि दर्ज होने एवं प्रत्येक सहखातेदार को खातेदारी भूमि का विधिवत तकास्मा करवाने का अधिकारात प्राप्त होने से वादी वाद दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 16.12.2024 को प्राथमिक डिकी किया जाकर तहसीलदार बॉदीकुई को कुरैजात प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार बॉदीकुई के पत्र कमांकः 5056 दिनांकः 11.07.2025 द्वारा कुरैजात प्रस्ताव प्राप्त होकर शामिल पत्रावली किये गये। तहसीलदार बॉदीकुई से प्राप्त कुरैजात प्रस्ताव का वादी वकील द्वारा अवलोकन किया गया एवं प्राप्त कुरैजात अनुसार वाद को अंतिम डिकी किये जाने बाबत निवेदन किया। पत्रावली एवं तहसीलदार बॉदीकुई से प्राप्त कुर्रेजात का अवलोकन किया। कुर्रेजात अवलोकन से प्रकट है कि प्राप्त कुरैजात तहसीलदार (भू.अ.) बॉदीकुई द्वारा पक्षकारों को विधिवत सूचित कर मौके पर बरूये राजस्व रिकार्ड के बनाया जाना प्रकट होने से प्राप्त कुरैजात स्वीकार किये जाकर वादीगण वाद को अंतिम डिकी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी वाद दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर प्राप्त कुरैजात अनुसार निम्न अनुसार अंतिम डिकी किया जाता है–

प्रस्तावित कुर्रेजात अनुसार इन्द्राज

क्र.सं.	नाम ग्राम	नाम खातेदार	ख.नं.	रकबा	किस्म
	बाढ बगीची	मानसिंह पुत्र नाथूलाल हि0 सम्पूर्ण जाति गुर्जर सा. चोरवाडा तह. बसवा खातेदार	643/91/3	0.1300	बारानी 2
			योग 1	0.13	
		हरिकिशन पुत्र गीलाराम हि. सम्पूर्ण जाति माली सा. बांदीकुई खातेदार	643/91/2	0.0350	बारानी 2
			योग 1	0.0350	
		मानसिंह पुत्र नाथूलाल हि0 15/19 जाति गुर्जर सा. चोरवाडा तह. बसवा खातेदार हरिकिशन पुत्र गीलाराम हि. 4/19 जाति माली सा. बांदीकुई खातेदार	643/91/1	0.0150	बारानी 2
			योग 1	0.0150	

१५४६

कुरैजात, निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। अंतिम डिक्री जारी हो। तहसीलदार बाँदीकुई तदानुसार राजस्व रिकार्ड में विधिवत अमल दरामद करना सुनिश्चित करे।साथ ही प्रतिवादीगण संख्या 01 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की मजाहमत न करे।पालना हेतु तहसीलदार बाँदीकुई को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा निर्णय आज दिनांक 25.09.2025 को लिखा एवं सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

निर्णय सुनाया गया।

25/9/25

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
बाँदीकुई (दौसा)